

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>पूर्णमासिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 150/2022</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>20-06-2022</p>	<p>अपीलार्थी पूर्णिमासिंह, निवासी 8/1008, विकास नगर, लखनउ (यूपी) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 05.05.2022 में (1) Marital status of Dr.Avanish Kumar Srivastava, Scientist E and verification of identity card issued to his family members from Defence Laboutry Jodhpur and verification of official identity card issued to Dr. Soma Shrivastava Scientist CAZRI व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 750 दिनांक 07.06.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थीया पूर्णिमासिंह को इस कार्यालय के पत्र संख्या 596 दिनांक 06.05.22 द्वारा सूचित किया गया किया जा चुका है कि आवेदन पत्र में वर्णित सूचना अस्पष्ट एवं तृतीय पक्षकार से संबंधित होने के फलस्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1)(j) के अन्तर्गत दिया जाना अपेक्षित नहीं है।</p> <p>चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना अस्पष्ट एवं तृतीय पक्षकार से संबंधित होने से देय नहीं है अतः प्रस्तुत अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।</p>	